न्यायालयः– अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1462 / 2026
दानापुर थाना कांड संख्या–346 / 2026

1. मुन्नू लाल (अमन ठाकुर के चाचा)पिता स्व0 शिव कुमार,
2. अतीश कुमार (अमन ठाकुर के नेफ्यू)पिता अजय कुमार।
साकिन–सुल्तानपुर, थाना–दानापुर,जिला–पटना।

————— अभियुक्त।

आवेदक की ओर से– श्री बिजय कुमार, विद्वान अधिवक्ता।
अभियोजन की ओर से –श्री रामकेश्वर प्रसाद, वि0 अपर लोक अभियोजक।

आदेश

24.07.2026 दानापुर थाना कांड संख्या–346 / 2026 धारा–190,191(2),115(2),109(1),126(2),324(4) बी.एन.एस. से संबंधित है, के याची अभियुक्त की ओर से यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

इस अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त ना ही सत्र न्यायालय और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। आवेदकगण का आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण निर्दोष है, इसने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर छोड़ने की प्रार्थना करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

संक्षेप में सूचक का कथन है कि मैं करीब रात 1.00 बजे दिनांक–26.03.2026 को अपने घर से दबा लेने के लिये सगुना मोड़ आया था, इसके बाद आर.पी.एस. मोड़ गया था, दबा नहीं मिला, फिर मैं वापस घ ार आ रहा था, उसी दौरान बाईक से हाईटेक हास्पीटल के नजदीक अमन ठाकुर और अमन ठाकुन के भाई और चाचा जो सुल्तानपुर में रहता है। प्रिंस सिंह सनीअरीया जो कि गोला रोड में रहता है, इनलोगों के साथ 15 लोग और थे, जो कि देखकर पहचान सकता हूँ। ये सभी लोग मेरा गाड़ी रोककर मेरे उपर जानलेवा हमला कर दिये, जिससे मेरा सिर और वदन पर गहरा चोट आया है और मेरा बाईक भी तोड़ दिया है। उचित कार्रवाई की जाए।

सुना। अभिलेख व कांड दैनिकी का अवलोकन किया। कांड दैनिकी के पैरा–62. के अवलोकन से विदित होता है कि जख्मी पवन कुमार का कारित जख्म साधारण प्रकृति का है। उभय पक्षों में पल्टा वाद भी चल रहा है। अपराध सामान्य, अस्पष्ट और सामूहिक आरोप प्रतीत होता है। इस अभियुक्तगण के विरूद्ध स्पष्ट रूप से हमला करने का वर्णन प्राथमिकी में

न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या—1462 / 2026
दानापुर थाना कांड संख्या—346 / 2026

लगातार
24.07.2026

नहीं है। दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन के पैरा—3. में उल्लिखित किया गया है कि अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास भी नहीं है। सह अभियुक्त को पूर्व में अग्रिम जमानत दिया गया है। इस आवेदकगण पर भी समान प्रकृति का अपराध है।

अतएव मामले के तथ्यों को देखते हुये उपरोक्त आवेदकगण को इस शर्त पर अग्रिम जमानत देना न्यायोचित प्रतीत होता है कि भविष्य में इसतरह का अपराध नहीं करेंगे एवं एक—एक जमानतदार उनके निकट संबंधी होने पर आदेश की तिथि से 30 दिनों के अंदर निम्न न्यायालय में आत्मसमर्पण / गिरफ्तार होने पर धारा—438(2) द.प्र.सं. में वर्णित शर्तों के अधीन मो0 10,000 / —रू0 के दो प्रतिभू के बंधपत्र दाखिल करने पर अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय आदेश की प्रति विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में भेजें।

—

लेखापित,
Sd/-

अ0स0न्याया0,पंचम,दानापुर।